

संचालनालय आयुष, म०प्र०

(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

23/3/2021

-विज्ञप्ति-

-एम०डी०/एम०एस० आयुर्वेद/होम्योपैथी मॉप-अप (चतुर्थ) चरण (संशोधित)-

मॉप-अप (चतुर्थ) चरण का संशोधित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

1/ संशोधित मैरिट निर्धारण प्रक्रिया-

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	पंजीयन	दिनांक 23/3/2021 से 24/3/2021 प्रातः 11:00 बजे तक
2	अभिलेख सत्यापन	दिनांक 23/3/2021 से 24/3/2021 दोपहर 01:00 बजे तक
3	मैरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 24/3/2021 सायं 05:00 बजे


2/ मॉप-अप चरण (द्वितीय) का काउंसिलिंग कार्यक्रम-

क्र०	विवरण	दिनांक एवं समय
1	रिक्त सीटों की स्थिति	दिनांक 24/3/2021
2	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्चाईस फीलिंग)	दिनांक 24/3/2021 सायं 06:00 बजे से 25/3/2021 प्रातः 09:00 बजे तक
3	सीट आवंटन	दिनांक 27/3/2021 सायं 06:00 बजे
4	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 28/3/2021 से 30/3/2021 रात्रि 11:59 बजे तक

नोट:-

- 1- अभ्यर्थी प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाईन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- उक्त ऑनलाइन काउंसिलिंग में आयुष मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त शासकीय (स्वशासी)/निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।
- 3- आयुष मंत्रालय भारत सरकार में मान्यता हेतु लंबित आयुष महाविद्यालयों को आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर प्रवेश नियम के नियम-25 अनुसार सम्मिलित किया जावेगा।
- 4- उपरोक्त चरण में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक/F.NO.L 11011/1/2021-EP-1 (Part-1) दिनांक 19/3/2021 द्वारा निर्धारित संशोधित परसेन्टाईल सीमा के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 5- वे अभ्यर्थी जो पूर्व से ही काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हैं उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है।
- 6- नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in एवं एम०पी० ऑनलाइन के पोर्टल का सतत अवलोकन करते रहें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


उप संचालक
23/3/2021
संचालनालय आयुष म०प्र०